संख्या-1175/69-1-15एन.आर.वाई./96

प्रेषक,

सुबोध नाथ झा
सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नागर विकास अभिकरण,
उ.प्र., लखनऊ।

लखनऊः दिनांकः 10 जनवरी, 1997

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग

विषय : **जिला नागर विकास अभिकरण के खातों का जिला स्तर पर संचालन**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 4644/120 (दो) /95, दिनांक 30-12-96 के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव/संस्तुतियों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 30-12-1996 के प्रस्ताव/संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-462/69-1-50 एनआरवाई/96, दिनांक 13 अगस्त, 1996 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है तथा पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-35ए/9-7-96-16 एनआरवाई/91 दिनांक 22-1-1996 द्वारा जिला नगरीय गरीबी उन्मूलन निधि के खातों के संचालन विषयक निर्धारित प्रक्रिया एवं निर्देशों को पुनः प्रतिस्थापित करते हुए यथावत लागू किया जाता है। उक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

कृपया उक्त आदेशों का अनुपालन प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करते हुए निर्गत किये गये उक्त आदेशों का संबंधित अधिकारियों को अपने स्तर से परिचालित कराया जाना भी सुनिश्चित करें और कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुबोध नाथ झा)
सचिव।

पत्रांक-4725/120 (दो)/95 दिनांक 10.01.97

शासन के उपरोक्त आदेश की प्रतिलिपि आपको अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया इसका अनुपालन सुनिश्चित कर कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें।

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.।
3. समस्त अपर आयुक्त (प्रशा.) पदेन अपर निदेशक, सूडा, मण्डलायुक्त कार्यालय, उ.प्र.।
4. समस्त परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.।
5. अपर निदेशक, रीजनल सेन्टर फार अर्बन एण्ड इन्वायरमेंटल स्टडीज, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
6. निदेशक, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, नैनीताल।
7. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण उत्तर प्रदेश।

भवदीय,

(आर.पी. शुक्ल)
अपर निदेशक